न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद पत्र संख्या 77/2020(2020/00189)

श्रीमति न्याली उम्र 45 साल पुत्री नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम बाजटा तहसील सावर जिला अजमेर

——वादीयां

बनाम

1.छीतर उम्र 60 साल पुत्र महादेव
2.जयसिंह उम्र 45 साल पुत्र छीतर
समस्त जाति मीणा निवासीगण बाजटा तहसील सावर जिला अजमेर (राजस्थान)

——प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 188,,209राज0टेनेन्सी एक्ट

उपस्थितः— श्री निर्मल चौधरी वकील— वादीयॉ
कोई हाजिर नहीं— प्रतिवादीगण

दिनांक 6·1·21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीयॉ ने वादपत्र अंतर्गत धारा 188,209राज0टेनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाजटा तहसील सावर जिला अजमेर संवत् 2073–76 की निम्नवर्णित आराजीयात स्थित हैः—

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
284–264	2290	0.45 है0	बारानी उत्तम

यह आराजी वादियां के स्वामित्व व आधिपत्य की है तथा उस पर काश्त कर पैदावार प्राप्त कर परिवार का पालन पोषण कर रही है। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के जबरन नष्ट भ्रष्ट कर कब्जा करने पर उतारू हो रहे है व कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न कर रहे है। जबकि उक्त आराजीयात मे प्रतिवादीगण को वादियां के कब्जे काश्त की आराजी मे बाधा उत्पन्न करने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण वादिया को धमकी देते रहते है कि हम उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करके रहेगे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादीयां की उक्त कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की आराजी मे किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे वादियां अपनी आराजीयात से बेदखल हो। वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 10.06.2020 को उत्पन्न हुआ,जब प्रतिवादीगण ने वादिया को आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दी और अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। वादिया ने वादपत्र पर नियमानुसार कोर्ट फीस चस्पा कर श्रवणाधिकार का होने से पेश किया है।तथा निवेदन किया है कि मेरा दावा डिकरी किया जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने न्यायालय से जारी सम्मन लेने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा सम्मन लेने से इन्कार करने पर उनके खिलाफ दिनांक 09.09.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाकर जवाब बंद किया गया। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है अतः तनकी कायम की जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वादी वकील के निवेदन पर बहस सुनी गई।

वादी के लायक वकील श्री निर्मल चौधरी ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि आराजी वाद वर्णित वाके ग्राम बाजटा तहसील सावर संवत् 2073–76 के खाता संख्या नया–पुराना 282–264 के खसरा नंबर 2290 रकबा 0.45 है0 बारानी उत्तम वादीयां की खातेदारी व कब्जे काश्त की हैं। प्रतिवादीगण उक्त आराजी को नष्ट भ्रष्ट कर वादियां के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न कर आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हो रहे है। अतः वाद की डिकरी बहक वादिया खिलाफ प्रतिवादी सादिर फरमायी जावे। प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:09:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

सगे संबंधी आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादियॉ की उक्त वर्णित आराजीयात मे वादियॉ के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले न ही वादिया की उक्त आराजीयात पर ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे वादियॉ अपने कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल हो।

अनुतोष

वादीयां ग्राम बाजटा की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या नया–पुराना 282–264 खसरा नंबर 2290 रकबा 0.45 है0 बारानी उत्तम की खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है। वादीयां का वाद स्वीकार किया जाने योग्य है।

निर्णय

ग्राम बाजटा की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या नया–पुराना 282–264 खसरा नंबर 2290 रकबा 0.45 है0 बारानी उत्तम की खातेदार काश्तकार है,प्रतिवादीगण उनके नोकर चाकर हाली सीरी सगे संबंधी आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादीयां के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे वादीयां अपनी आराजी से बेदखल हों। डिकरी पर्चा इस आशय का जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला–अजमेर

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:09:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner